N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0180 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/07/2025 18:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/07/2025 **Date To (दिनांक तक):** 09/07/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:15 बजे **Time To (समय तक):** 15:05 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/07/2025 **Time (समय):** 18:30 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/07/2025 18:40:44 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 7 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** CENTRAL JAIL, JAIPUR
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complaint / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): AMAR SINGH CHOUDHARY

(b) Father's Name (पिता का नाम): SHIMBHU DAYAL JAT

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2000 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RATANPURA, HARIPURA, JAMWA RAMGARH, JAMWA RAMGARH, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RATANPURA, HARIPURA, JAMWA RAMGARH, JAMWA RAMGARH, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JAGVEER SINGH		पिता:SHAITAN SINGH	1. LALASAR,KISHANGARH RAINWAL,JAIPUR,RENWAL,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	26000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	26,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 26,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 08.07.2025 को श्री ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक नाथूलाल को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पूर्व से सामने बैठे हुए व्यक्ति का परिवादी श्री अमर सिंह चैधरी के रूप में परिचय करवाते हुये उसके द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मन पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठांकित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी व उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा अपना परिचय देकर परिवादी से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अमर सिंह चैधरी पुत्र शिम्भू दयाल जाट, उम्र 25 साल, निवासी रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारागढ़ जिला जयपुर बताया। परिवादी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित किया कि "सेवामें श्रीमान् एएसपी साहब, एसीबी जयपुर। विषय रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ कार्यवाही हेतु, महोदय निवेदन है कि मैं अमर सिंह चौधरी पुत्र श्री शिम्भू दयाल जाट निवासी रतनपुरा हरिपुरा तह0 जमवारामगढ़ जिला जयपुर का निवासी हूं। मेरा भाई सागर जाट किसी केस में पिछले करीब 8 दिन से जयपुर जिला जेल में बंद है। मैं दिनांक 5.7.2025 को उक्त जेल में मेरे भाई से मुलाकात करने गया तो मेरे भाई ने मेरे को बताया कि मेस इंचार्ज जगवीर जी मुझे परेशान नही करने के लिए 70,000/- रूपये मांग रहे है अभी जाते समय तु जगवीर जी से बात करके जाना, इसके बाद मैं मेन गेट पर आकर जगवीर जी के बारे में पूछा तो जेल सुपरिटेन्डेन्ट श्री जयवर्धन राठौड़ ने अपने पास खड़े एक लंबे से व्यक्ति की ओर इशारा कर कहा कि ये जगवीर जी है ये जो बोले वो अभी करके जाना। उसके बाद में जगवीर जी मेरे साथ बाहर आये तथा एक काले रंग की स्विफ्ट कार में बिठाकर कहा कि तेरे भाई ने पैसो की 70,000/- रू. अभी देकर जा, अब बार बार मैं तेरे को पैसो के लिए नही बोलूंगा। उसके बाद मैं वहां से उनको आश्वासन देकर मैं अपने कमरे पर आ गया। उसके बाद में दो दिन से जगवीर जी मेरे भाई से रूपयों के लिए मेरे को जेल के लेण्डलाईन नम्बर [redacted]से बार बार पैसो के लिए फोन करवाकर मुझे और मेरे भाई को परेशान कर रहा है। कार्यवाही करने की कृपा करें"। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरा बड़ा भाई सागर जाट फिरौती मांगने के मामले में दिनांक 30.06.2025 से जिला जेल जयपुर में बन्द है। दिनांक 5.7.2025 को मैं मेरे भाई से मुलाकात करने गया तो उसने बताया जेल के अन्दर मैस इन्चार्ज व जेलर साहब मुझे बहुत परेशान कर रहे है तथा मेरे साथ मारपीट करते है तथा इस बहाने से ये लोग मुझ पर दबाव बनाकर रूपयों की मांग कर रहे है इनको रूपये देने पड़ेगे नही तो ये मुझे बहुत परेशान करेगे तथा मेरे साथ ओर भी मारपीट करते रहेगे, जब तुम बाहर जाओ तो जगवीर जी है उनसे मिलकर जाना। जब मैं बाहर जेल के बड़े दरवाजे/गेट पर आया तो वहां पर खड़े सुपरीटेन्डेंट साहब ने एक लम्बे व सांवले से व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये जगवीर सिंह जी है ये जो बोले आप वो कर देना। इसके पश्चात मैं जगवीर जी के साथ बाहर आया गया जिन्होने जेल के बाहर खड़ी काले रंग की कार में मुझे बैठाकर मेरे से मेरे भाई को परेशान नही करने के बारे में बातचीत करी व 70,000/- रूपये की मांग की। मैने उनको कहा कि मेरे पास अभी रूपये नही है मैं दो चार दिनों में रूपयों की व्यवस्था कर लूंगा। इसके बाद से जगवीर सिंह जी व सुपरीटेन्डेंट साहब लगातार मेरे भाई पर दबाव बनाकर जेल के बेसिक फोन नं. [redacted] से मेरे मोबाईल पर फोन करवाकर पहले एक लाख रूपये व बाद में सत्तर हजार रूपये रिश्वत की मांग करवा रहे है। मैं उसको रिश्वत के रूप में रूपये नही देना चाहता हूं तथा उसको रंग हाथों पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी को एसीबी द्वारा की जाने वाली रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी द्वारा बताया गया कि मैं आज ही रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हूँ जिस पर कार्यालय के श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के बारे में बताकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान होने वाली वार्ताओं को रिकॉर्ड करने हेतु श्री सुभाष कानि. को कार्यालय के मालखाना से एक विभागीय वॉईस रिकॉर्डर व एक नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32जीबी को निकालकर उनका खाली होना सुनिश्चत कर मैमोरी कार्ड को वॉइस रिकॉर्डर में डालकर परिवादी को उक्त वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई। तदुपरान्त सुभाष कानि. को उक्त वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूर्व से पाबन्ध शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहो श्री कृष्ण कुमार गुर्जर व प्रकाश चन्द मीणा को कल दिनांक 09.07.2025 को कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाया गया। तत्पश्चात् समय 4.30 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 कार्यालय में मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर बन्द किया हुआ वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय हाजा से परिवादी की निजी मोटरसाईकिल के पीछे-पीछे सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना होकर सेन्टर जेल जयपुर पहुंचे जिसके बाहर छुपाव हासिल करते हुये समय 1.24 पीएम पर परिवादी अमर सिंह चौधरी को वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर सेन्टर जेल के परिसर में से जिला जेल जयपुर की ओर संदिग्ध श्री जगवीर सिंह व जेलर से बातचीत करने हेतु रवाना किया, मैं भी परिवादी के पीछे-पीछे सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादी जिला जेल जयपुर के बाहर पहुंचा जिसके पीछे-पीछे मैं भी जिला जैल जयपुर से थोड़ी दूरी पर ही रूक गया, जहां से जेल का दरवाजा/गेट स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया व रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसको मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि अभी गार्ड साहब से जगवीर जी के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि जगवीर जी बाहर गये हुये है। इसके पश्चात परिवादी के साथ सेन्टर जेल की की केन्टीन के पास आ गये। यहां आने के पश्चात परिवादी को सूचना मिली कि जगवीर जी आ गये है जिस पर पुनः परिवादी की निजी मोटरसाईकिल के पीछे-पीछे सरकारी मोटरसाईकिल से मैं जिला जेल के नजदीक पहुंचा तथा परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर संदिग्ध से बातचीत करने के लिए रवाना किया तथा मैं वहीं आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुये मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया जिसको मेने इशारो में सेन्टर जैल के पास केन्टीन के पास चलने के लिए कहा। केन्टीन के पास आने पर वहां पर छुपाव हासिल करते हुये परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि "जगवीर जी से मैने 70,000 रूपयों में से कम कराने के लिए कहा तो उन्होने कहा कि साहब (सुपरीटेन्डेंट) 50,000/- रूपये मांग रहे है मैने उनसे (साहब से) बात कर ली व तेरे भाई ने भी 50,000/- रूपये के लिए ही कहा है तो मैने जगवीर जी को कहा कि इतने की व्यवस्था नही हो पायेगी। मैने लास्ट में उनसे फाइनल रूपये बताने के लिए कहा तो जगवीर जी ने मेरे से कहा कि पचास हजार रूपयों की कोशिश करना और नही तो चालीस हजार रूपये तो अवश्य लाना ही है तथा जगवीर जी ने कहा कि सुपरीटेन्डेंट साहब से मैं बात कर लूंगा, जगवीर जी मेरे को कल 11 बजे सेन्टर जैल की केन्टीन में रूपये लेकर बुलाया है"। तत्पश्चात परिवादी को आवश्यक कार्य होने पर परिवादी वहां से चला गया तथा मैं ब्यूरो कार्यालय आ गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वॉइस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया गया तो कानि. द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई। वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को सुनने से संदिग्ध जगवीर सिंह द्वारा स्वयं के लिए व सुपरीटेन्डेंट के लिए पूर्व में एक लाख रूपये, फिर सत्तर हजार रूपये, इसके पश्चात 50,000/- रूपये व लास्ट में 40,000/- रूपये रिश्वत के रूप में मांगने के तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुये है। हालात उच्चाधिकारियों से निवेदन किये गये। तदुपरान्त दिनांक 09.07.2025 को ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय हाजा के समस्त स्टाफ को दिनांक 09.07.2025 को 9.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। वाईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं की निगरानी में सुरक्षार्थ कार्यालय अलमारी में रखा गया। दिनांक 09.07.2025 को परिवादी ने जरिये फोन अवगत कराया कि जगवीर जी मुझे 2-3 बजे रूपये लेकर बुलाया है व मेरे पास चालीस हजार रूपये की व्यवस्था नही हुई है, मैं 11 बजे तक आपके पास रूपयों की व्यवस्था करके आता हूं। तत्पश्चात् समय 10.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा विभागीय वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय अलमारी में से निकालकर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान उपयोग में लिए गये मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को वॉइस रिकॉर्डर में से निकालकर सुरक्षार्थ कार्यालय अलमारी में रखा गया तथा वॉइस रिकॉर्डर को पृथक से पुनः अलमारी में रखा गया। परिवादी श्री अमर सिंह चैधरी कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर बताया कि मेरे पास चालीस हजार रूपयों की व्यवस्था नही हुई है, मात्र 26000/- रूपयों की ही व्यवस्था हो पाई है, अतः संदिग्ध द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 40000/- रूपये की व्यवस्था परिवादी के पास नही हुई। उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर परिवादी के पास उपलब्ध राशि 26000/- रूपये के साथ ही ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। पूर्व से पाबन्ध शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री प्रकाश चन्द मीणा हाल सहायक निदेशक (सांख्यिकी), निदेशालय पशु पालन विभाग, जयपुर व श्री कृष्ण कुमार गुर्जर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी निदेशालसय पशु पालन विभाग, जयपुर कार्यालय हाजा में उपस्थित हो चुके है, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर नाम पता पूछा जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताकर दोनो गवाहान को कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र गवाहान के रूप में उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाहान ने मौखिक रूप से अपनी सहमती दी, जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। समय 01.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहन की के समक्ष परिवादी श्री अमर सिंह चैधरी को संदिग्ध जगवीर सिंह को रिश्वत के रूप में दी जानी वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री अमर सिंह चैधरी ने दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष अपने पास से 500-500 रूपये के 52 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 26,000/-रूपये अपनी जेब से निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, सभी नोटों का विवरण/नम्बर फर्द में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों कुल 52 नोट राशि 26,000/-रूपये पर फिनोफ्थीलन

पाउडर लगवाने हेतु एचएम कार्यालय में कार्यालय के श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर कार्यालय टेबल पर एक अखबार बिछाकर उस पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर उक्त पाउडर लगवाया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री अमर सिंह चैधरी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री प्रकाशचन्द मीणा से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोटो में से 40 नोट कुल राशि 20,000/- रूपये सीधे ही श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट में सामने की दांयी तरफ की जैब में तथा 12 नोट कुल राशि 6000/- रूपये बांई जेब में रखवाये जाकर हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेबो से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें तथा आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे एवं संदिग्ध रिश्वत राशि को लेकर कहां रखता है यह भी ध्यान रखें एवं साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाया गया। तत्पश्चात श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से फिनोल्पथलीन पाउडर के डिब्बे को वापस कार्यालय की अलमारी में रखवाकर श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त एवं नये डिस्पोजल प्लास्टिक के ग्लास एवं चम्मच ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने के लिए पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन मे काम लिए गये विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त हस्ब कायदा मुर्तिब की गई जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी के पास आरोपी श्री जगवीर सिंह का फोन आया, जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी को बुलाने के तथ्य प्रकट हुए। उक्त वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है। तत्पश्चात् श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री सुरेश कुमार स्वामी उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में मन पुलिस निरीक्षक नाथूलाल, श्री हरिभजन स0उ0नि0, श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि0 नं0 99, श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11, श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245, श्री प्रवीण कानि0 222, श्री कपिल कुमार कानि. 377 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रकाशचन्द मीण व श्री कृष्ण कुमार गुर्जर को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहनों के मय चालक मय लेपटोप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही में रवाना होने से पूर्व परिवादी श्री अमर सिंह चैधरी को उसकी निजी मोटरसाईकिल मे रवाना कर उसके पीछे पीछे श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को सरकारी मोटरसाईकिल से आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर उनके पीछे-पीछे वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय से रवाना हुए। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही छोड़ा गया। समय 2.35 पीएम मन पुलिस निरीक्षक मय समस्त एसीबी टीम, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के केन्द्रीय कारागार जयपुर पास पहुंच सरकारी वाहनों को सड़क किनारे खडा किया गया। परिवादी अमर सिंह चैधरी व श्री सुभाष चन्द्र कानि. भी केन्द्रीय कारागार जयपुर के पास पहुंच चुके है। कुछ समय पश्चात श्री सुभाष चन्द्र कानि. द्वारा परिवादी को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी की निजी मोटरसाईकिल के पीछे-पीछे सरकारी मोटरसाईकिल से केन्द्रीय कारागार जयपुर परिसर में प्रवेश कर गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय समस्त एसीबी टीम श्री सुभाष चन्द्र कानि. व परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में अपनी विभागीय पहचान छुपाते हुये ट्रेप जाल बिछाकर केन्द्रीय कारागार जयपुर के पास ही मुकिम रहे। समय करीब 2.50 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 ने जरिये फोन अवगत कराया कि परिवादी व आरोपी केन्द्रीय कारागार, जयपुर के बाहर बैरिकों की तरफ खडी एक एम्बुलेंस के पास खडे होकर आपस में बात कर रहे है, इसके पश्चात समय करीब 3.05 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि0 ने अवगत कराया कि परिवादी ने मेरे को अभी-अभी बताया कि आरोपी ने रिश्वत राशि 26,000/-रूपये मेरे से एम्बुलेंस की ड्राईवर सीट पर रखवाकर मुझे जाने का ईशारा किया है, मन् कानि. द्वारा आरोपी के रूपयों को उठाने पर आपको बता दूंगा। कुछ समय पश्चात श्री सुभाष चन्द्र कानि0 ने मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि आरोपी अपनी एम्बुलेंस के चालक साईड का गेट खोलकर अन्दर कुछ गतिविधि कर वापस गेट को लॉक कर केन्द्रीय कारागार की तरफ जा रहा है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम एवं स्वतंत्र गवाहान के केन्द्रीय कारागार परिसर के अन्दर आये तथा आरोपी के बारे में इधर-उधर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी जगवीर सिंह अभी-अभी केन्द्रीय कारागार, जयपुर के अन्दर चला गया है। परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। तदुपरान्त हमराह श्री सुरेश

कुमार स्वामी, पु0 उप अधीक्षक को केन्द्रीय कारागाह के अन्दर भेजकर मन् पुलिस निरीक्षक व परिवादी तथा अन्य जाब्ता के साथ उक्त एम्बुलेंस के पास मुकिम रहे। कुछ समय पश्चात श्री सुरेश कुमार स्वामी द्वारा नियमानुसार केन्द्रीय कारागार के अन्दर प्रवेश कर जैल अधीक्षक से संदिग्ध जगवीर सिंह के बारे में पूछताछ कर उसको केन्द्रीय कारागार से बाहर एम्बुलेंस के पास लेकर आये, मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी जगवीर सिंह को स्वंय एवं हमराही जाब्ता का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगवीर सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी लालासर किशनगढ़-रैनवाल पुलिस थाना रैनवाल जिला जयपुर हाल जैल प्रहरी बैल्ट नम्बर 2542 जिला कारागार, जयपुर बताया। उपस्थित परिवादी ने आरोपी जगवीर सिंह की तरफ ईशारा कर बताया कि आरोपी जगवीर सिंह ने अभी-अभी मेरे से 26,000/-रूपये ईशारा कर एम्बुलेंस की सीट पर रखवाये थे तथा मेरे को यहां से चले जाने के लिए कहा था। जिस पर आरोपी जगवीर सिंह को रूपयों के बारे में पूछा तो उसने परिवादी की ओर ईशारा कर कहा कि मैंने इसको कुछ भी नही कहा, इसने अपने आप ही मेरे से चाबी लेकर 26,000/-रूपये गाडी में रख दिये। जिस पर एम्बुलेंस नम्बर आरजे 14-पीई-8403 को सरसरी तौर पर चैक किया तो उसके चारो गेट व डिग्गी लॉक होना पाई गई। मौजूद आरोपी श्री जगवीर सिंह से एम्बुलेंस की चाबी के बारे में पूछा तो आरोपी ने एम्बुलेंस की चाबी स्वंय के पास होना बताया, जिस पर आरोपी को एम्बुलेंस को खोलने के लिए कहा तो उसने अपने पास मौजूद चाबी से एम्बुलेंस का ड्राईवर साईड के फाटक का लॉक खोला, उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण कुमार गुर्जर से गाडी में रूपयों की तलाश करवाई गई तो एम्बुलेंस की ड्राईवर सीट के नीचे सीट कवर में से रिश्वत राशि बरामद की गई, जिसको गिनवाया गया तो फर्द पेशकशी के अनुसार एक गड्डी में 500-500 रूपये के 12 नोट राशि 6,000/- रूपये एवं दूसरी गड्डी में 500-500 रूपये के 40 नोट राशि 20,000/- रूपये कुल राशि 26,000/- रूपये बरामद हुये। दोनो स्वतंत्र गवाहन से उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने हुबहु होना बताया गया। उक्त रिश्वती राशि के 26,000/- रूपये स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण कुमार गुर्जर के पास रखवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री जगवीर सिंह, जैल प्रहरी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईल फोन विवो कंपनी बरंग नीला, जिसमें एयरटेल कंपनी की सिम नम्बर 9571070714 को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री जगवीर सिंह से परिवादी श्री अमर सिंह चैधरी से ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो आरोपी श्री जगवीर सिंह ने बताया कि उक्त 26,000/- रूपये मैंने इससे नही मांगे, इसने जबरदस्ती मेरे से गाडी की चाबी लेकर उसकी सीट पर रख दिये, जिस पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि इन्होने जिला कारागार, जयपुर में बन्द मेरे भाई सागर को परेशान नही करने, हार्ड काम नही करवाने व सहुलियत से मुलाकात करवाने की ऐवज में मेरे भाई सागर से जैल के लेण्डलाईन फोन से फोन करवाकर सत्तर हजार रूपये की मांग कर परेशान करवा रहे है, कल दिनांक 08.07.2025 को मैंने जगवीर जी से मिलकर सत्तर हजार रूपये में से कुछ राशि कम करने के लिए कहा तो इन्होने मेरे को पहले तो पचास हजार रूपये व लास्ट में चालिस हजार रूपये आज लेकर आने के लिए कहा था। आज मेरे पास चालिस हजार रूपये नही हुये तो मैं एसीबी में छब्बीस हजार रूपये लेकर गया था तथा उक्त राशि जगवीर जी के पास लेकर आया तो इन्होने यंही पर मेरे से बातचीत कर छब्बीस हजार रूपये मेरे से गाडी की सीट पर रखवा लिये थे। जिस पर आरोपी जगवीर सिंह से इस संबंध में पूछा गया तो उसके द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब नही देकर अपनी गर्दन झुका ली। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में मौजुद लेन-देन वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्टि होती है। तत्पश्चात आरोपी श्री जगवीर सिंह के दोनो हाथों के धोवन की कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी श्री जगवीर सिंह के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री जगवीर सिंह के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को मटमेला होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री जगवीर सिंह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री जगवीर सिंह के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमेला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री जगवीर सिंह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात रिश्वत राशि बरामदगी स्थल एम्बुलेंस की चालक सीट के नीचे जहां से रिश्वत राशि 26,000/- रूपये बरामद की गई थी, का धोवन लेने के लिए सफेद कपडे की चिंदी से बरामदगी स्थल को रगडकर ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे में से उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया।

तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में चिंदी को डुबोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क SC-1 व SC-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री जगवीर सिंह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया तथा धोवन हेतू उपयोग में ली गई सफेद कपडे की चिंदी को सुखाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर चिंदी को सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क C अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री जगवीर सिंह द्वारा परिवादी श्री अमर सिंह चैधरी से प्राप्त रिश्वती राशि के 500-500 रूपये के 52 नोट कुल रिश्वत राशि 26,000/रूपये जो स्वतन्त्र गवाह श्री कृष्ण कुमार गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सील्ड मोहर कर मार्क "M" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। मौके पर खडी रिश्वत राशि बरामदगी स्थल एम्बुलेंस आरजै 14-पीई-8403 के चारो गेट व डिग्गी लॉक कर एम्बुलेंस पूर्णतया लॉक होना सुनिश्चित कर एम्बुलेंस को परिसर केन्द्रीय कारागार, जयपुर में सुरक्षार्थ खडी किया गया। जिसकी आईन्दा फर्द निरीक्षण तैयार की जावेगी। चूंकि आरोपी के विरूद्ध सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की लिखापढ़ी परिसर केन्द्रीय कारागार, जयपुर पर संभव नही है, अतः अग्रीम कार्यवाही हेतू डिटेनशुदा आरोपी श्री जगवीर सिंह, स्वतंत्र गवाहान मय जब्तशुदा आर्टिकल्स को हमराह समस्त एसीबी टीम के साथ पुलिस लाईन, दूरसंचार, घाटगेट, जयपुर के लिए रवाना हुए। समय 04.20 पीएम पर मन् टीएलओ मय आरोपी श्री जगवीर सिंह, स्वतंत्र गवाहान मय जब्तशुदा आर्टिकल्स को हमराह समस्त एसीबी टीम के साथ पुलिस लाईन, दूरसंचार, घाटगेट, जयपुर पहुंच, प्रभारी अधिकारी, पुलिस लाईन, दूरसंचार, घाटगेट, जयपुर की मौखिक सहमति ली जाकर ड्रॉविंग हॉल में अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसके क्रम में आरोपी श्री जगवीर सिंह से पुनः रिश्वत राशि के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी जगवीर सिंह द्वारा अपने पूर्व में कहे कथनों की ताईद कर बताया कि "उक्त 26,000/- रूपये मैंने इससे नही मांगे, इसने जबरदस्ती मेरे से गाडी की चाबी लेकर उसकी सीट पर रख दिये।"
आरोपी जगवीर सिंह को दिनांक 08.07.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन तथा आज दिनांक 09.07.2025 को रिश्वत लेन-देन के दौरान परिवादी से हुई वार्ताओं के बारे में बताया गया तो आरोपी ने बताया कि अमर सिंह कल मेरे पास आया था तथा जिला कारागार, जयपुर में बंदी अपने भाई सागर से मुलाकात कराने के लिए बातचीत की थी, मैंने इससे कल भी कोई रिश्वत नही मांगी तथा आज भी इसने जबरदस्ती 26,000/- रूपये जिला कारागार की एम्बुलेंस में रख दिये। जिस पर आरोपी को एम्बुलेंस के बारे में तथा उसको लॉक करने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उक्त एम्बुलेंस जिला कारागार, जयपुर की है तथा मैं इसको जिला कारागार, जयपुर से लेकर कुछ समय पहले ही केन्द्रीय कारागार, जयपुर आया था तथा इसको मैंने ही लॉक कर चाबी अपने पास लेकर केन्द्रीय कारागार, जयपुर में बैल्डिंग मशीन लेने के लिए चला गया था। चूंकि वरवक्त रिश्वत राशि तलाशी व बरामदगी से पूर्व उक्त एम्बुलेंस के सभी फाटक व डिग्गी लॉक होना तथा चाबी आरोपी जगवीर सिंह के पास होना पाई गई थी, इस प्रकार आरोपी श्री जगवीर सिंह द्वारा रिश्वत राशि जबरदस्ती परिवादी द्वारा एम्बुलेंस में रखने के तथ्यों का पूर्णतया खण्डन होता है तथा मांग सत्यापन दिनांक 08.07.2025 तथा रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 09.07.2025 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ताओं के अवलोकन से आरोपी जगवीर सिंह द्वारा जिला कारागार, जयपुर में बन्द परिवादी श्री अमर सिंह चौधरी के भाई सागर को परेशान नही करने, हार्ड काम नही करवाने व सहुलियत से मुलाकात करवाने की ऐवज में जैल के लेण्डलाईन फोन नम्बर [redacted] से परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर बार-बार कॉल करवाकर सत्तर हजार रूपये की मांग करना, मांग सत्यापन दिनांक 8.07.2025 के दौरान परिवादी द्वारा उक्त राशि में से कम करने के कहने पर पचास हजार रूपये एवं तदोपरान्त चालिस हजार रूपये रिश्वत राशि के रूप मे लेना तय होने पर उक्त रिश्वत राशि मांग की अनुसरण में आज दिनांक 09.07.2025 को आरोपी जगवीर सिंह द्वारा परिवादी श्री अमरसिंह चैधरी से 26,000/- रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर परिवादी से अपने कब्जाशुदा एम्बुलेंस की चालक सीट पर रखवाकर प्राप्त करना पाया गया है। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री जगवीर सिंह, जैल प्रहरी, जिला कारागार, जयपुर द्वारा वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री अमर सिंह चैधरी से रिश्वत राशि 26,000/- रूपये प्राप्त करने के तथ्य पाये गये है। आरोपी श्री जगवीर सिंह का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। प्रकरण में घटनास्थल केन्द्रीय कारागार, जयपुर के परिसर में खडी जिला कारागार, जयपुर की एम्बुलेंस नम्बर आरजै 14-पीई-8403 जिसमें से रिश्वत राशी 26,000/- रूपये बरामद की गई थी, की फर्द निरीक्षण तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मुर्तिब किया जाना है, लिहाजा डिटेनशुदा आरोपी श्री जगवीर सिंह को शेष एसीबी टीम के सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान के सरकारी वाहन से घटनास्थल केन्द्रीय कारागार जयपुर रवाना हुए। दर्ज रहे कि नियमानुसार केन्द्रीय कारागार, जयपुर परिसर पहुंच घटनास्थल पर खडी एम्बुलेंस नम्बर आरजै 14-पीई-8403 का स्वतंत्र गवाहान के रूबरू गहनता से निरीक्षण कर पृथक से फर्द निरीक्षण एम्बुलेंस तैयार की गई तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब किया जाकर शामिल फर्द किया गया। चूंकि एम्बुलेंस नम्बर आरजे 14-पीई-8403 जिसकी

चालक के नीचे से रिश्वत राशि बरामद की गई थी, उक्त एम्बुलेंस जिला कारागार, जयपुर की है, जिला कारागार, जयपुर की दैनिक आवश्यकताओं को मध्यनजर उक्त एम्बुलेंस को आईन्दा संबंधित को सुपुर्द की जावेगी। तत्पश्चात आरोपी श्री जगवीर सिंह, जैल प्रहरी, जिला कारागार, जयपुर को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दिनांक 08.07.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 09.07.2025 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री जगवीर सिंह ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री जगवीर सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी लालासर किशनगढ़-रैनवाल पुलिस थाना रैनवाल जिला जयपुर हाल जैल प्रहरी बैल्ट नम्बर 2542 जिला कारागार, जयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री जगवीर सिंह हस्बकायदा जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री जगवीर सिंह से रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान परिवादी व उसके मध्य हुई वार्ताओं में आरोपी जगवीर सिंह द्वारा उल्लेखित साहब (कारागार अधीक्षक, श्री जयवर्धन सिंह राठोड) के लिए उक्त रिश्वत राशि में से हिस्से के बारे में पूछा तो आरोपी जगवीर सिंह ने गर्दन झुकाते हुये उक्त राशि स्वंय के लिए ही लेना स्वीकार किया। चूंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, जिला कारागार, जयपुर के लैण्डलाईन फोन से परिवादी के मोबाईल पर किये गये कॉल्स, रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी व आरोपी जगवीर सिंह के मध्य हुई वार्ता में तथा रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान आरोपी श्री जगवीर सिंह द्वारा बार-बार साहब (कारागार अधीक्षक, श्री जयवर्धन सिंह राठोड) के नाम पर उक्त रिश्वत राशि लेने का उल्लेख होना प्रकट हुआ है, इस प्रकार उक्त रिश्वत राशि मे से कारागार अधीक्षक, श्री जयवर्धन सिंह राठोड का हिस्सा होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता अतः इस संबंध में अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान अनुसंधान के प्रयोजनार्थ आरोपी श्री जगवीर सिंह के कब्जा से प्राप्त किये गये मोबाईल फोन फ्लाईट मोड पर किये गये। फर्द नमूना शील पृथक से तैयार की गई। नियमानुसार स्वतंत्र गवाहन व परिवादी की मौजुदगी में विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत लेन-देन के दौरान हुई वार्ताओं की नियमानुसार फर्द वार्तारूपान्तरण व डीवीडीयां तैयार की गई। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ता, पूछताछ आरोपी तथा अन्य परिस्थितजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी श्री जगवीर सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह राजपूत, उम्र-38 साल, निवासी-गांव-लालासर, किशनगढ रेनवाल, पुलिस थाना-रेनवाल, जिला जयपुर, हाल जेल प्रहरी, बेल्ट नं0 2542 जिला कारागृह जयपुर द्वारा वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री अमर सिंह चैधरी से उसके भाई सागर जाट जो जिला कारागृह जयपुर में बंद है, को जेल में परेशान नहीं करने, हार्ड काम नहीं करवाने व सहुलियत से मुलाकात करवाने की एवज में परिवादी के भाई सागर जाट पर दबाव बनाकर जेल के लेण्डलाईन फोन से परिवादी के मोबाईल पर वार्ता करवाकर 70,000/-रूपये की मांग कर परेशान करने पर दिनांक 08.07.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री जगवीर सिंह द्वारा परिवादी से 70,000/-रूपये की मांग कर परिवादी द्वारा रिश्वती राशि कम करने के अनुरोध पर आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशि कम करके 50,000/-रूपये मांग कर 40,000/-रूपये रिश्वत राशि लेना तय होने पर दिनांक 09.07.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री जगवीर सिंह द्वारा परिवादी से 26,000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री जगवीर सिंह के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री जगवीर सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह राजपूत, उम्र-38 साल, निवासी-गांव-लालासर, किशनगढ रेनवाल, पुलिस थाना-रेनवाल, जिला जयपुर, हाल जेल प्रहरी, बेल्ट नं0 2542 जिला कारागृह जयपुर के विरूद्ध अन्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (नाथूलाल) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जगवीर सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह राजपूत, उम्र-38 साल, निवासी-गांव-लालासर, किशनगढ रेनवाल, पुलिस थाना-रेनवाल, जिला जयपुर, हाल जेल प्रहरी, बेल्ट नं0 2542 जिला कारागृह, जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गम्भीर सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 213 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1025-28 दिनांक 11.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम-1 2. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, राज. कारागार जयपुर 3-उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Gambheer singh kashana **Rank (पद):** निरीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 11/07/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)